न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 922 सन 2019

अनवान :–

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर ।
2. राहुल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. रूकेश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 18/17 के प0न0 371/451(5) के किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 कुल 1.2650हैक प0न0 370/451(6) किला न0 1 ता 25/6.3250हैक प0न0 369/451(7) किला न0 4/0.2530 ,5/0.2280 ,6/0.2270 ,7/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2280 ,16/0.2270 ,17/0.2530 ,24/.2530 ,25/0.2270 ,कुल 2.4020हैक मु0न0 74/43 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 41 किता की 10.1180हैक भूमि में वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है यानि 5.059हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 39/39 के प0न0 370/445(4) किला न0 22/1 की 0.3795हैक 23/1 की 0.0506हैक 24/1 की 0.0506हैक 25/1 की 0.03795हैक कुल 0.1771हैक प0न0 371/445(5) के किला न0 21/1 की 0.01265 , 23/1 की 0.01265 ,24/1 की 0.01265 , 25/0.01265 , कुल 0.08855हैक प0न0 371/446(8) किला न0 1 ता 25/6.3250हैक नहरी 6. 1985हैक गै0मु0 रास्ता 0.1265हैक प0न0 370/446(9) किला न0 2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0. 2530 ,5/2 की 0.02530 ,6/2 की 0.02530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/2 की 0.02530 ,16/2 की 0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/2 की 0.2530 ,कुल 5. 3130हैक नहरी 5.185हैक गै0मु0 रास्ता 0.1265हैक प0न0 371/447(16) के किला न0 1/.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,5/0.2530 कुल 1.2650हैक गै0मु0 रास्ता 0.2530हैक किला न0 16 ता 25/2.530हैक गै0मु0 रास्ता 0.0506हैक प0न0 371/449(31) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,5/0.2530 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 , 9/0. 2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,17/0. 2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0. 2530 ,कुल 5.8190हैक गै0मु0 रास्ता 0.18975हैक प0न0 371/450(34) किला न0 11/0.2530 ,20/.2530 ,21/0.2530 ,कुल 0.7590हैक , प0न0 370/450(35) किला न0 1/0.2530 ,2/0. 2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 5.8190हैक गै0मु0 रास्ता 1.1012हैक प0न0 369/450(36) के किला न0 6/2 की 0.2530 ,7/0.2530, 14/0.2530 ,15/2 की 0.2530 ,16/2 की 0.02530 ,17/0.2530 ,24/0.2530 ,25/2 की 0.2530 , कुल 2.0240हैक गै0मु0 रास्ता 0.1012हैक कुल 127 किता की 30.1195हैक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गै0मु0 0.61985हैक गै0मु0 खाला 0.2277हैक भूमि में से 800–1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानी 5.12325हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पिता के पक्ष में त्याग किया जा चुका इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 18/17 की कुल 10.1180हैक भूमि में प्रतिवादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है यानि 5.059हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 39/39 की कुल कुल 127 किता की 30.1195हैक भूमि में से 800–1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानी 5.12325हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है

Scanned with CamScanner

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिव के हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 18/17 की कुल 10.1180हैक भूमि में प्रतिवादी 1/2 हिस्सा यानि 5.059हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 39/39 की कुल कुल 127 किता की 30.1195हैक भूमि में से 800—1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानी 5.12325हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2024 रोही मौजा चक 3 आरएमजी , 1 आरएमजी के अनुसार वाद भूमि बृजलाल पुत्र ठाकरराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र ठाकरराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरारतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के हकदार है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा अपने भाईयो/पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है राज्यहकों के मध्यनजर स्टाम्प कायम किया जाना उचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 18/17 की कुल 10.1180हैक भूमि में प्रतिवादी 1/2 हिस्सा यानि 5.059हैक भूमि तथा रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 39/39 की कुल किता 127 की 30.1195हैक भूमि में से 800—1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानी 5.12325हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर ।
2. राहुल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. रूकेश पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 922 सन 2019 निर्णय दिनांक– 25/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 18 / 17 की कुल 10.1180हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी 1 / 2 हिस्सा यानि 5.059हैक्‍ भूमि तथा रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 39 / 39 की कुल किता 127 की 30.1195हैक्‍ भूमि में से 800–1 / 2 हिस्सा में 1 / 2 हिस्सा यानी 5.12325हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner